राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15751/2023

गयाद राम पुत्र श्री उमा राम, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी गांव मानेवाड़ा, तहसील बाप, जिला जोधपुर (राज.).----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, इसके सचिव के माध्यम से।

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री विवेक फिरोदा

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश(मौखिक)</u>

<u>20/03/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत 21.01.2021 (अनुलग्नक 10) के विवादित आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में सामाजिक विज्ञान विषय में वरिष्ठ अध्यापक के पद के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह अपने समकक्षों की तुलना में अधिक मेधावी है, जिनका चयन 09.04.2018 (अनुलग्नक 1) के विज्ञापन के अनुसार किया गया था।

2. संक्षेप में, अनावश्यक विवरणों से रहित प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता (एक भूतपूर्व सैनिक) का राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के तहत वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) के पद के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) में आवेदन खारिज कर दिया गया था। पर्याप्त अंक हासिल करने के बावजूद, याचिकाकर्ता का नाम आरपीएससी द्वारा स्पष्ट कारण बताए बिना अंतिम सूची से बाहर कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी कथित तौर पर उसके बच्चों की संख्या के संबंध में विसंगति के कारण रद्द कर दी गई थी। सेना के अधिकारियों द्वारा उसके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में शुरू में कहा गया था कि उसके 3 बच्चे हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता ने केवल दो बच्चे होने का सबूत देते हुए इस विसंगति को ठीक कर लिया। पेंशन विभाग ने याचिकाकर्ता को जारी पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में भी इसकी पुष्टि की। सही दस्तावेजों के बार-बार प्रस्तुतीकरण और नियुक्ति के अनुरोध के बावजूद, आरपीएससी ने याचिकाकर्ता को संबंधित नौकरी के लिए अनुशंसित नहीं किया है।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है।

4. शुरू में ही, यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी वर्ष 2021 में ही खारिज कर दी गई थी, जैसा कि अनुलग्नक-11 से पता चलता है। याचिकाकर्ता ने इस अदालत से इतनी देरी से संपर्क क्यों किया, इस बारे में याचिकाकर्ता की ओर से कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। रिट याचिका में देरी को उचित ठहराने वाला कोई भी तर्क नहीं दिया गया है। यह साबित होता है कि आरोपित आदेश 21.01.2021 (अनुलग्नक 10) को पारित किया गया था। 03.10.2023 को रिट याचिका दायर करने तक, याचिकाकर्ता ने इसे चुनौती देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार इसे स्वीकार करने के बाद, उन्होंने अब दोबारा विचार करके याचिका दायर की है, वह भी बहुत देरी से।

5. बेशक, चयन प्रक्रिया वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। न केवल यह परिणति तक पहुंच गई है, बल्कि सफल उम्मीदवारों को भी नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। वे सभी अपने-अपने पदों पर काम कर रहे हैं। अगर कोई याचिकाकर्ता के दावे को स्वीकार भी कर ले, तो जिस उम्मीदवार को उसके लिए रास्ता बनाना होगा, उसे इसमें पक्षकार नहीं बनाया गया है। याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया के परिणाम की जानकारी होने के बावजूद उसने जरूरी कदम उठाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वैसे भी, इक्विटी उन सफल उम्मीदवारों के पक्ष में है जो चयनित पदों पर इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं।

7. जैसा भी हो, याचिकाकर्ता की ओर से अपने अधिकारों के प्रवर्तन की मांग करने में पर्याप्त परिश्रम न करने के कारण, इस स्तर पर इक्विटी उसके पक्ष में नहीं है। अनुचित देरी स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष के अधिकारों को क्रिस्टलीकृत कर देती है और इस प्रकार न्यायालय के विलम्बित हस्तक्षेप से उन्हें गंभीर रूप से प्रभावित करती है। याचिकाकर्ता अपने अधिकारों के बारे में सोया हुआ है, इसलिए वह केवल इस आधार पर किसी भी

अनुकूल व्यवहार का हकदार नहीं है। कानून की यह स्थापित स्थिति है कि इक्विटी केवल सतर्क लोगों की सहायता करती है, न कि उन लोगों की जो अपने अधिकारों के बारे में सोते रहते हैं।

8. हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

9. याचिका खारिज की जाती है।

10. सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।